न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 121 / 2014 दायर दिनाँक 03.07.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनलाल पुत्र नन्दाराम जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी रेल्वे स्टेशन डीडवाना, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरलाल दत्तक पुत्र चेतनराम 2. प्रभुराम पुत्र नन्दाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र नन्दाराम 4. भंवरी पुत्री नन्दाराम 5. सोहनी पुत्री नन्दाराम 6. सुशिला पुत्री नन्दाराम 7. चुंका देवी पुत्री नन्दाराम 8. मोहनी पुत्री नन्दाराम 9. रामश्वरी पुत्री नन्दाराम 10. लिछमा पुत्री नन्दाराम 11. प्रेमी पुत्री नन्दाराम समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण रेल्वे स्टेशन डीडवाना जिला नागौर राज0। 12. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री नागपाल सिंह राठौड़ वकील वादी।
2. श्री नरेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 26.08.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा सं0 115 रकबा 65.16 बीघा, खसरा सं0 117 रकबा 09.09 बीघा, खसरा सं0 119 रकबा 12.04 बीघा कुल रकबा 87.09 बीघा वाके सरहद ग्राम पाटण पटवार हल्का कलवानी तहसील डीडवाना में आये हुये है।

यह है कि वादी के पिता 3 भाई थे सबसे बड़े रामूराम उनके छोटे चेतनराम व सबसे छोटे नंदाराम, रामूराम दिनांक 13.12.1998 को नाऔलाद फौत हो गये तथा उनके कोई जायन्दा संतान मौजूद [illegible] दिनांक 04.07.2005 को फौत हो गये, उनके कोई जायन्दा संतान नही [illegible] उन्होने अपने जीवन काल में ही दिनांक 04.07.2005 को प्रतिवादी [illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

गोद ले लिया तथा उसी दिन उनका देहान्त हो गया । सबसे छोटे नन्दाराम 30.06.1992 को फौत हो गये।

यह की उपरोक्त वर्णित खसरान् में रामूराम, चेतनराम व नन्दाराम तीनों भाईयों का बराबर–बराबर का हिस्सा अर्थात 1/3, 1/3, 1/3 भाग बंट व कब्ते काश्त में था रामूराम नाऔलाद फौत हो गया। इस कारण उनका 1/3 भाग का 1/2 भाग चेतनराम व 1/2 भाग नंदाराम के व उनके वारीसान के हक अधिकार में आ गया। इस प्रकार 1/2 भाग चेतनराम व 1/2 भाग नन्दाराम के हक अधिकार में आ गया।

यह है कि खेत खसरा सं0 115 रकबा 65.16 बीघा, खसरा सं0 117 रकबा 09.09 बीघा, खसरा सं0 119 रकबा 12.04 बीघा कुल रकबा 87 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद पाटण पटवार हल्का कलवानी तहसील डीडवाना में 43 बीघा 15 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 11 के जो कि खेत खसरा नम्बर 115 में 32.18 बीघा व खेत खसरा सं0 117 में 04.15 बिस्वा, खसरा सं0 119 में 06.02 बीघा खातेदारी में अमल दरामद होना चाहिये व प्रतिवादी संख्या 01 भंवरलाल दत्तक पुत्र चेतनराम के खेत खसरा सं0 115 में 32.18 बीघा व खेत खसरा सं0 117 में 04.14 बीघा, खसरा सं0 119 रकबा 06.02 बीघा भूमि खातेदारी में अमल दरामद करावें व इसी प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 11 तथा प्रतिवादी संख्या 01 कब्जा काश्त है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा सं0 115 रकबा 65.16 बीघा, खसरा सं0 117 रकबा 09.09 बीघा, खसरा सं0 119 रकबा 12.04 बीघा कुल रकबा 87.09 बीघा वाके सरहद ग्राम पाटण पटवार हल्का कलवानी तहसील डीडवाना में आये हुये है, में रामूराम का नाम खाते से हटाया जावें व चेतनराम के दत्तक पुत्र भंवरलाल के नाम वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 11 के वाद में वर्णितानुसार 1/2, 1/2 भाग की खातेदारी चेतनराम के पुत्र नन्दाराम के वारीसान नाम अमल दरामद करवायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवा[illegible]रिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 11 ने [illegible] पेश किया। वादी का शपथ पत्र पेश हुआ। [illegible]ाई। वाद में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजीनामा पेश हो रखा है। तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा सरहद पाटण के खेत खसरा संख्या 159 रकबा 10.6500 हैक्टयर (खसरा नम्बर 115 रकबा 65 बीघा 16 बिस्वा में से 31 बीघा 11 बिस्वा) में से 05.1047 हैक्टयर व खेत खसरा सं0 163 रकबा 1.9800 हैक्टयर (खसरा सं0 119 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा) सम्पूर्ण अर्थात कुल 07.0847 हैक्टयर (43 बीघा 15 बिस्वा) वादी व प्रतिवादी सं0 02 व 03 के राजीनामा में पेश नजरी नक्शा (मार्क बी भाग–1) अनुसार घोषित की जाती है तथा खसरा सं0 159 रकबा 10.6500 हैक्टयर (खसरा सं0 115 रकबा 65 बीघा 16 बिस्वा में से 34 बीघा 05 बिस्वा) में से 05.5441 हैक्टयर व खेत खसरा सं0 161 रकबा 1.5300 हैक्टयर (खसरा सं0 117 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा) सम्पूर्ण अर्थात कुल 07.0716 हैक्टयर (43 बीघा 15 बिस्वा) प्रतिवादी सं0 01 के राजीनामा में पेश नजरी नक्शा (मार्क ए भाग–1) अनुसार घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णण एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **26.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **121/2014** दायर दिनाँक **03.07.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनलाल पुत्र नन्दाराम जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी रेल्वे स्टेशन डीडवाना, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरलाल दत्तक पुत्र चेतनराम 2. प्रभुराम पुत्र नन्दाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र नन्दाराम 4. भंवरी पुत्री नन्दाराम 5. सोहनी पुत्री नन्दाराम 6. सुशिला पुत्री नन्दाराम 7. चुंका देवी पुत्री नन्दाराम 8. मोहनी पुत्री नन्दाराम 9. रामश्वरी पुत्री नन्दाराम 10. लिछमा पुत्री नन्दाराम 11. प्रेमी पुत्री नन्दाराम समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण रेल्वे स्टेशन डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **26.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री नागपाल सिंह राठौड़ वकील वादी व श्री नरेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा सरहद पाटण के खेत खसरा संख्या 159 रकबा 10.6500 हैक्टयर (खसरा नम्बर 115 रकबा 65 बीघा 16 बिस्वा में से 31 बीघा 11 बिस्वा) में से 05.1047 हैक्टयर व खेत खसरा सं0 163 रकबा 1.9800 हैक्टयर (खसरा सं0 119 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा) सम्पूर्ण अर्थात कुल 07.0847 हैक्टयर (43 बीघा 15 बिस्वा) वादी व प्रतिवादी सं0 02 व 03 के राजीनामा में पेश नजरी नक्शा (मार्क बी भाग–1) अनुसार घोषित की जाती है तथा खसरा सं0 159 रकबा 10.6500 हैक्टयर (खसरा सं0 115 रकबा 65 बीघा 16 बिस्वा में से 34 बीघा 05 बिस्वा) में से 05.5441 हैक्टयर व खेत खसरा सं0 161 रकबा 1.5300 हैक्टयर (खसरा सं0 117 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा) सम्पूर्ण अर्थात कुल 07.0716 हैक्टयर (43 बीघा 15 बिस्वा) प्रतिवादी सं0 01 के राजीनामा में पेश नजरी नक्शा (मार्क ए भाग–1) अनुसार घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णण एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... [illegible]..........–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.. [illegible] तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख [illegible].2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner